(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुनीता मीणा (RAS)

उनवान

1. नत्थी पुत्री रामजीलाल उम्र 73 वर्ष
2. रमेश मीना पुत्र सेड्या मीना उम्र 51 वर्ष
3. भगवान सहाय पुत्र सेड्या मीना उम्र 58 वर्ष
4. रामखिलाड़ी पुत्र सेड्या मीना उम्र 66 वर्ष
5. भरतलाल पुत्र रामसहाय मीना उम्र 61 वर्ष
6. रामभरोसी पुत्र परसादी मीना (मृतक)

6.1. हरिप्रसाद पुत्र स्व. रामभरोसी

6.2. विजयसिंह पुत्र स्व. रामभरोसी

6.3. सियाराम पुत्र स्व. रामभरोसी

6.4.नहनी बेवा स्व. रामभरोसी

7. छोटेलाल पुत्र मूल्या मीना (मृतक)

7.1. खुशीराम पुत्र स्व. छोटेलाल

7.2 जीतेन्द्र पुत्र स्व. छोटेलाल

7.3. मनोज पुत्र स्व. छोटेलाल
स्व.छोटेलाल

नाबालिग बवलायत ... रूकमणी बेवा

7.3 मनोज पुत्र स्व. छोटेलाल

7.4 रूकमणी बेवा स्व. छोटेलाल

7.5 निर्मला पुत्री छोटेलाल

7.6 कविता पुत्री छोटेलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

8. मोतीलाल पुत्र मूल्या

समस्त जाति मीना निवासी नन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

........वादीगण

बनाम

1. जयकुमार उम्र 62 वर्ष
2. रविकुमार उम्र 56 पिसरान श्री सूरजबिहारी

समस्त जाति कायस्थ निवासी जयपुर जिला जयपुर

3. अमरसिंह पुत्र नारायण लाल उम्र 53 वर्ष जाति मीना निवासी नांगलमाँडल तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
4. केवलराम पुत्र लक्ष्मणराम उम्र 48 साल, जाति मीना निवासी नांगलमाँडल तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
5. शिवराम मीना पुत्र कन्हैयालाल मीना जाति मीना निवासी गज्जपुरा तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
6. पूरणमल बागोरिया पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 66 साल जाति ब्राहम्ण निवासी तहसील कार्यालय के पास टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (मृतक)

6.1. हरीश

6.2 लोकेश पुत्रान स्व. पूरणमल

6.3 मन्जू

6.4 चित्रा पुत्रीयान स्व. पूरणमल

6.5. सुशीला बेवा स्व. पूर्णमल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी पुरानी तहसील के पास टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

7. सियाराम मीना पुत्र रामसहाय मीना जाति मीना निवासी ग्राम सलेमपुर खुर्द, तहसील वैर जिला भरतपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

8. जगन्नाथ प्रसाद पुत्र हीरालाल उम्र 46 साल जाति जांजीड़ ब्राहम्ण निवासी सलेमपुर खुर्द तहसील वैर जिला भरतपुर (राजस्थान)

9. कर्मवीरसिंह पुत्र सुभराम सिंह चौधरी उम्र 36 साल जाति जाट निवासी जवाहर कॉलोनी, महवा तहसील महवा जिला दौसा (राज0)

10. एस.बी.आई शाखा टोडाभीम जरिये मैनेजर तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

11. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

12. उप पंजीयक टोडाभीम तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

13. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

14. जिला कलैक्टर गंगापुर सिटी

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकराररहक, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0:— 03 / 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम नन्दीपुर की आराजीयात मे डिक्री दी जाती है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के नाम बेचान का दिनांक 19—12—2008 को पंजीबद्ध करवाया गया विक्रय—पत्र वादीगण के हक—हकूक खातेदारी एवं स्वत्व के प्रति प्रभावशून्य, बेअसर व निषप्रभावी होना घोषित करते हुए ग्राम नन्दीपुर तहसील टोडाभीम स्थित खाता संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बरान 45 / 0.05, 90 / 0.02, 121 / 0.06, 124 / 0.03, 125 / 0.03, [illegible] / 0.10, 135 / 0.76, 198 / 3.05, 227 / 0.03, 228 / 0.11, 235 / 0.10, 245 / 0.17, 386 / 0.18 कुल किता 13 रकबा 4.69 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

1/4 भाग का, वादीगण नम्बर 3 व 4 को बहिस्सा 1/4 भाग का, वादी संख्या 5 को बहिस्सा 1/4 भाग का तथा वादीगण नम्बर 6, 7 व 8 को बहिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत/बाधा पैदा नहीं करें, बल्कि उन्हें शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवे।

निज......................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा

इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.05.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

री एवं पदेन सहायक ... टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सुनीता मीणा (RAS)

राजस्व वाद संख्या – 3 / 2009

तारीख रज्जु – 27–01–2009

उनवान

1. नत्थी पुत्री रामजीलाल उम्र 73 वर्ष
2. रमेश मीना पुत्र सेड्या मीना उम्र 51 वर्ष
3. भगवान सहाय पुत्र सेड्या मीना उम्र 58 वर्ष
4. रामखिलाड़ी पुत्र सेड्या मीना उम्र 66 वर्ष
5. भरतलाल पुत्र रामसहाय मीना उम्र 61 वर्ष
6. रामभरोसी पुत्र परसादी मीना (मृतक)

6.1. हरिप्रसाद पुत्र स्व. रामभरोसी

6.2. विजयसिंह पुत्र स्व. रामभरोसी

6.3. सियाराम पुत्र स्व. रामभरोसी

6.4.नहनी बेवा स्व. रामभरोसी

7. छोटेलाल पुत्र मूल्या मीना (मृतक)

7.1. खुशीराम पुत्र स्व. छोटेलाल

7.2 जीतेन्द्र पुत्र स्व. छोटेलाल

7.3. मनोज पुत्र स्व. छोटेलाल

स्व.छोटेलाल

(7.1 – 7.3) नाबालिग बवलायत माता खुद रूकमणी बेवा

7.3 मनोज पुत्र स्व. छोटेलाल

7.4 रूकमणी बेवा स्व. छोटेलाल

7.5 निर्मला पुत्री छोटेलाल

7.6 कविता पुत्री छोटेलाल

8. मोतीलाल पुत्र मूल्या

समस्त जाति मीना निवासी नन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

........वादीगण

बनाम

1. जयकुमार उम्र 62 वर्ष
2. रविकुमार उम्र 56 } पिसरान श्री सूरजबिहारी

समस्त जाति कायस्थ निवासी जयपुर जिला जयपुर

3. अमरसिंह पुत्र नारायण लाल उम्र 53 वर्ष जाति मीना निवासी नांगलमाँडल तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
4. केवलराम पुत्र लक्ष्मणराम उम्र 48 साल, जाति मीना निवासी नांगलमाँडल तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
5. शिवराम मीना पुत्र कन्हैयालाल मीना जाति मीना निवासी गज्जपुरा तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
6. पूरणमल बागोरिया पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 66 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी तहसील कार्यालय के पास टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (मृतक)

6.1. हरीश

6.2 लोकेश पुत्रान स्व. पूरणमल

6.3 मन्जू

6.4 चित्रा पुत्रीयान स्व. पूरणमल

6.5. सुशीला बेवा स्व. पूर्णमल समस्त जाति ब्राह्म्ण निवासी पुरानी तहसील के पास टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते

7. सियाराम मीना पुत्र रामसहाय मीना जाति मीना निवासी ग्राम सलेमपुर खुर्द, तहसील वैर जिला भरतपुर (राजस्थान)
8. जगन्नाथ प्रसाद पुत्र हीरालाल उम्र 46 साल जाति जांजीड़ ब्राह्म्ण निवासी सलेमपुर खुर्द तहसील वैर जिला भरतपुर (राजस्थान)
9. कर्मवीरसिंह पुत्र सुभराम सिंह [illegible] जाट निवासी जवाहर कॉलोनी, महवा तहसील [illegible])
10. एस.बी.आई शाखा टोडाभीम [illegible] टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)
11. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

12. उप पंजीयक टोडाभीम तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

13. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राजस्थान)

14. जिला कलैक्टर गंगापुर सिटी

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

1. श्री हंसराम गुर्जर, अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामभरोसी गुप्ता, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से
3. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक – 03–05–2024

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि गाँव नन्दीपुर तहसील टोडाभीम स्थित खाता संख्या 13 के आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 5 एयर चाही अव्वल, 90 रकबा 2 एयर चाही प्रथम 104 रकबा 3 एयर गैर मुमकिन नहर, 121 रकबा 6 एयर गैर मुमकिन चाह, 124 रकबा 3 एयर चाही प्रथम, 125 रकबा 3 एयर चाही प्रथम, 131 रकबा 10 एयर गैर मु.चाह., 135 रकबा 76 एयर गै.मु. खारड़ा, 195 रकबा 26 एयर गैर मुमकिन पाल., 196 रकबा 100 एयर गैर मुमकिन नहर, 197 रकबा 30 एयर चाही प्रथम, 198 रकवा 3.05 है0 बंजड प्रथम, 227 रकवा 3 ऐयर चाही प्रथम, 228 रकबा 11 एयर चाही प्रथम, 235 रकबा 10 एयर बंजड़ प्रथम, 245 रकबा 17 एयर बाराजी प्रथम, 361 रकबा 1.05 है. गैर [illegible] 386 रकबा 18 एयर चाही प्रथम, 391 रकबा 1.26 है. गैर मुमकिन रास्ता [illegible] 19 रकबा 8.59 है के वर्तमान में खातेदार जय[illegible] [illegible] सूरजबिहारी जाति कायस्थ निवासी जयपुर रहे हैं। उपर्युक्त [illegible]जी वादग्रस्त साबिक आराजी खसरा नम्बरान 32 मि. रकबा 16 बिस्वा, 59 मिन रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 94 मिन, 35 रकबा 5 बिस्वा, 32 मिन. 42 रकबा 8 बिस्वा, 59

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

मिन, 94 मिन, रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 95 मिन., 94 मिन., 96 मिन, रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 107/224 मिन रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, 125 रकबा 11 बिस्वा, 125 मिन., 135 रकबा 8 बिस्वा, 138 रकबा 8 बिस्वा, 183 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, 209 रकबा 14 बिस्वा, 212 रकबा 5 बीघा 8 कायम किये गये हैं। इससे पूर्व की जमाबन्दियों में बन्दोबस्त खेवट खतौनी सम्वत् 2000 से 2019 के कालम नम्बर 3 में भूमि धारको के नाम में वादीगण के बाबा श्योचन्द वगैरह का नाम दर्ज आता रहा हैं। यानि पूर्व से ही वादीगण के बाबा सहखातेदार रहे हैं। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व उनके बाप दादों का कोई कब्जा नहीं रहा है, अपितु उक्त आराजी वादग्रस्त पर वादीगण के पिता ही काश्त करते चले आ रहें, जो आज तक बदस्तूर हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने अपने पिता सूरज बिहारी की मृत्यु के काफी समय पश्चात् उक्त आराजी मुतदाविया का नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 20–01–2005 को ग्राम पंचायत सरपंच नत्थी मीना से मजमें आम में तस्दीक नहीं करवाकर गुपचुप रूप से फर्जी साईन करके गलत रूप से स्वीकार करवा लिया जो खारिज होने योग्य है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई ताल्लुक वास्ता व कब्जा नहीं रहा क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सूरजबिहारी ने वादीगण के बुजुर्गो को पूर्व में ही एक लिखावट के जरिये बेचान करदी थी, जिसमें लिखा है कि मैं सूरज बिहारी पुत्र दुर्गालाल जाति कायास्थ हाल वासी जयपुर ने सम्वत बैशाख सुदी द्वितीया सम्वत् 2013 उन नाम की नन्दीपुर की पूरी जमीन 600 रूपये शब्देन छः सौ रूपये में नन्दीपुर को सम्भलादी है। जमीन के भेज नन्दीपुर का देगा इस जमीन पर कोई दावा झगड़ा करे तो राज पंच में झूंठा है। बेचानकर्ता सूरज बिहारी ने ग्राम मन्नोज के चिरन्जी [illegible] द्वारा लिखवाकर अपने हस्ताक्षर लिये हैं एवं साक्षी में [illegible] एवं अन्य रहे हैं। वादीगण के पिता रामजीलाल, रामरतन, [illegible]ादी, भैरूलाल व श्योचन्द वगैरा के अलावा ग्राम नन्दीपुर में वर्तमान में किसी के घर नहीं है। वादीगण उन्हे के बेटे है तथा इन्ही के फूटस्टेप पर खरीद के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:30:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
...गंगापुर सिटी

के पिता की जाति 35 साल तक कायस्थ की बजाये ब्राहम्ण दर्ज रही, जिसे दुरूस्त नहीं करवाया गया ओर जब चौरी छुपे बेचान करने का मानस बना तो प्रतिवादी संख्या 3 से 9 से साज करके न्यायालय के आदेश से दिनांक 1–9–2007 को बदनियती पूर्वक रिकार्ड के दुरूस्ती करवाकर फर्जी तरीके से प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 को दिनांक 19–12–2008 को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के माध्यम से बेचान कर दी, जो गलत है एवं उक्त दस्तावेज प्रभावहीन दस्तावेज है तथा कानूनी रूप से शून्य प्रकृति का है जो कि अवनीसियो वाइड है।

2. वादीगण दिनांक 22–12–2008 को तहसील में अपने जमीन के कार्य से आये तो अचानक प्रतिवादीगण ने कहा कि हमने तुम्हारी जमीन खरीद ली है जिस पर तुम्हारा कब्जा है। अब उस पर हम नामान्तरकरण खुलवाकर लोन लेगें। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाने का प्रयास किया। मगर वे नहीं माने उल्टा वादीगण को धमकी दी। अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त गैर कानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तिनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति इन टर्मस आफ मनी भी पूरी नहीं की जा सकेगी। इसलिए उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ।

3. वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से उनके द्वारा खरीद की गई उक्त आराजी वादग्रस्त पर अलग –अलग सजरा के अनुसार अपने अपने हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त हैं। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

(1) हिस्सा 1/4

भैरूलाल

रामजीलाल (फौत) — (फौत)

नत्थी (पुत्र) — बत्तीलाल

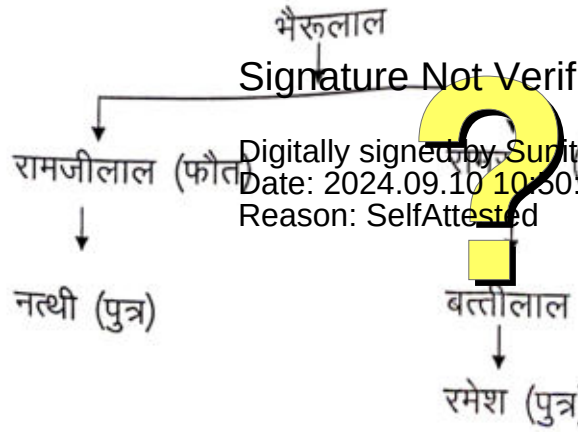

रमेश (पुत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

(2) हिस्सा 1/4

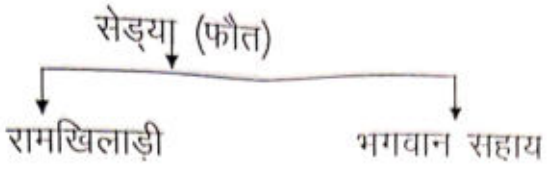

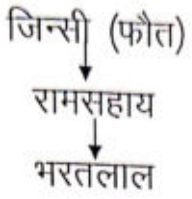

सेड़्या (फौत)
- रामखिलाड़ी
- भगवान सहाय

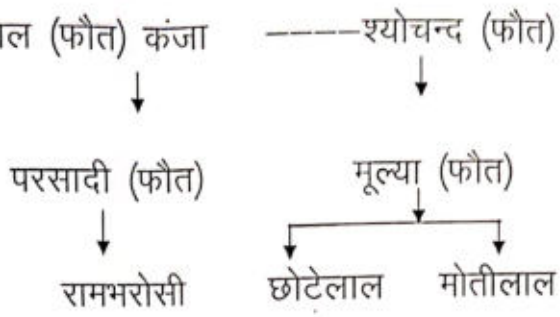

(3) हिस्सा 1/4

जिन्सी (फौत)
↓
रामसहाय
↓
भरतलाल

(4) हिस्सा 1/4 भैरूलाल (फौत) कंजा ––––श्योचन्द (फौत)

भैरूलाल (फौत) कंजा
↓
परसादी (फौत)
↓
रामभरोसी

श्योचन्द (फौत)
↓
मूल्या (फौत)
- छोटेलाल
- मोतीलाल

4. वादीगण एवं उनके पिता बुजुर्गो का उक्त आराजी मुतदादिया पर खरीद के समय से ही लगातार कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त भूमि की खरीद के समय से ही सम्वत् 2013 से आज तक भेज जमा करवाते आ रहे हैं जिसकी उनके पास सन् 1974, 1975, 1978, 1980, 1999, 2004 व 2008 की रसीदे भी रसीदे भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सैटलमैन्ट आपरेशन के दौरान खातेदारों को जो कृषि जोत की जो पासबुक 1–1–1996 में प्रमाणित करके वादीगण को दी गई है, जिससे भी वादीगण कब्जा काश्त होना तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी वादग्रस्त से कोई वास्ता नहीं होना प्रमाणित है। इसलिए वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा करना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीगण के द्वारा उक्त आराजी में बड़े–बड़े टीले, गड्ढे बजड़ आदि को करीब 2 लाख रुपये लगाकर ट्रैक्टर से चाठी लगा[illegible] काश्त कृषि योग्यत बनाया गया है। तथा आराजी [illegible] पोश मकान छपरा आदि भी बना रखे हैं। इस प्रकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अस्तीत्व में आने से पूर्व से ही वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण के नाम खातेदारी स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज करवाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–गंगापुर सिटी

5. वादपक्ष के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 104 / 0.03 है. में नहर, 195 / 0.26 है. में पाल, 196 / 1.00 है. में नहर, 197 / 0.30 है. में पाल, 361 / 1.05 है. में सड़क, 391 / 1.26 है. में रास्ता की भूमि रही है जो राजकीय कार्यो में समाहित है। शेष आराजी वादग्रस्त खाता संख्या 13 के खसरा नम्बरान 45 / 0.05, 90 / 0.02, 121 / 0.06, 124 / 0.03, 125 / 0.03, 131 / 0.10, 135 / 0.76, 198 / 3.05, 227 / 0.03, 228 / 0.11, 235 / 0.10, 245 / 0.17 व 386 / 0.18 है. कुल किता–13 रकबा 4.69 है. वाके मौजा नन्दीपुर तहसील टोडाभीम में वादी नम्बर 1 व 2 को बहिस्सा 1 / 4, वादी संख्या 3 व 4 को बहिस्सा 1 / 4, वादी संख्या 5 को बहिस्सा 1 / 4 एवं वादी संख्या 6,7 व 8 को बहिस्सा 1 / 4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा दिनांक 19–12–2008 को प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के हक में पंजीबद्व विकय–पत्र को शून्यः प्रभावी वादीगण एवं अवनीसियों वाइड मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जावे।

6. वादीगण का दावा हाजा पर निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है, जो अन्दर मियाद है तथा न्यायाल्य के क्षेत्राधिकार में है, जिसकी सुनवाई एवं समाअत का अधिकार मान्य न्यायालय हाजा को है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर बहक वादीगण एवं बखिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे या अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ न्यायसंगत बहक वादीगण शई जावे वह भी अता फरमाई जावे।

7. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रतिवादीगण संख्या [illegible] लगायत [illegible] जरिये अधिवक्ता श्री [illegible] गुप्ता हाजिर अदालत [illegible] तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 14 बावजूद सम्मन तामील भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये, इस कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश करने के लिए नियत की गयी।

9. प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद–पत्र के वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि आराजी विवादास्पद के प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 खातेदार काश्तकार है, बटिया भूमि के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के बाबा श्योचन्द का नाम आराजी विवादास्पद की जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2000 में दर्ज नहीं है एवं वादीगण व उनके बुजुर्गान का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा ना ही मौजूद में उनका कब्जा काश्त है, अपितु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा उनके बुजुर्गान का कब्जा रहा है तथा इनका ही राजस्व अभिलेख के नाम दर्ज रिकार्ड है।

10. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सूरज बिहारी ने वादीगण के बुजुर्गो को कभी भी आराजी विवादास्पद को विक्रय नहीं लिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण सही व वैध खुला व तस्दीक हुआ है, यह फर्जी नहीं है। उक्त आराजी विवादग्रस्त का लगान भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही देते आये हैं तथा कृषि भूमि की पासबुक भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनके पिता के नाम है। वादीगण ने उक्त वादपत्र में सभी तथ्य गलत, झूंठे व मनगढंत दर्ज किये है, उनका न तो कभी कब्जा काश्त रहा एवं ना ही उनके द्वारा भूमि को पैसे खर्च कर कृषि योग्य बनाया तथा ना ही उक्त भूमि में उनके कोई छप्पर पोश पाटौर आदि ही स्थित है ना ही उनकी कोई मवेशी आदि ही बधती है। उक्त आराजी वादग्रस्त की खातेदारी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के द्वारा उनके अभिलिखित खातेदारी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 को उचित प्रतिफल अदा कर क्रय की है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 62 बेचान दिनांक 23–12–2008 के द्वारा खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हो गयी है। मौके पर क्रेताओं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 का कब्जा है। वादीगण का इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 3 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी टोडाभीम

9 के हक में पंजीबद्व करवाया गया विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 यथावत प्रभावी है, जिसे मान्य सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादीगण का दावा मेन्टेनेबिल नहीं है। अतः वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

11. प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब दावा दिनांक 27–04–2009 को प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि उक्त आराजी विवादास्पद उनके बैंक के रहन नहीं है, उन्हे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। वादीगण का दावे खारिज किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से भी दिनांक 10–9–2012 को जवाब दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि उक्त आराजी वादग्रस्त को बैंक के रहन रखी जाने का जमाबन्दी में कोई इन्द्राज नहीं है उन्हे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। दावा खारिज फरमाया जावे।

12. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं उनके अधिवक्ता को बार–बार मौहल्लत देने के उपरान्त भी न तो उनकी ओर से वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं ना ही नियत तिथि 29–8–2011 को वे तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुए, इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई।

13. प्रकरण के विधिवत निस्तारण हेतु निम्नांकित तनकीयात विरचित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई :–

तनकी संख्या 1– आया यह है कि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता ने वादीगण के बुजुर्गो को सम्वत् 2000 में बेचान करदी थी। उस समय से ही वादीगण के बुजुर्गो का एवं वादीगणों का कब्जा है। खातेदारी कराने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

... वादीगण

तनकी संख्या 2– आया यह है कि जब प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का कब्जा ही नहीं हे तो उन्हे भूमि विक्रय करने का अधिकार ही नहीं है। प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा होने से खातेदारी कराने के हकदार है तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार हैं।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

......जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 3 – आया यह है कि नामान्तरकरण बाबत विक्रय नत्र दिनांक 19–12–2008 गलत एवं फर्जी है। इसलिए नामान्तरकरण खारिज कराने के हकदार है।

.....जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 4 – आया यह है कि खसरा नम्बर 45, 90, 123, 125, 135, 198, 227, 228, 235, 245, 381 कुल किता 11 रकबा 4.53 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 9 के नाम व शेष भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है जो सही है। वादीगण व उनके बुजुर्गो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, ना ही उन्होने काश्त की है। ना ही वर्तमान में वादीगण का कब्जा है। वादीगण दावा खारिज कराने के हकदार हैं।

.......जिम्मे प्रतिवादीगण 3 से 9

तनकी संख्या 5 – आया यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादीगण के बुजुर्गो को भूमि विक्रय नहीं की थी ना ही कोई लिखावत कराई ना ही हस्ताक्षर किये है ना ही भूमि का कब्जा सम्भलवाया था। वादीगण के सारे तथ्य मनगढंत व झूंठे हैं। वादीगण का दावा गलत है। खारिज योग्य है।

....जिम्मे प्रतिवादीगण 3 से 9

तनकी संख्या 6– आया यह है कि खसरा नम्बर 45, 90, 124, 125, 135, 198, 227, 228, 235, 245 व 386 कुल किता 11 रकबा 4.53 है. भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 को सही कराया है, भूमि पर कब्जा है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व कोर्ट को नहीं है। वादीगण का दावा खारिज करने योग्य है।

....जिम्मे प्रतिवादीगण 3 से 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 7– अनुतोष ?

14. वादीगण की ओर से अपनी जबानी साक्ष्य में वादीगण नथी, रमेश, भगवानसहाय व भरतलाल ने अपने स्वयं के तथा गवाहान रमशी, रूपलाल, मनोहरी एवं कुन्दनलाल के बयानों के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी शाहदत में नकल राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

2061 से 2064 Exp.1 मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 3–8–2012 Exp-2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 Exp-3 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2015 Exp.4 से Exp.6ए नकल जामबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 Exp.7, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2000 से 2019 Exp.8 से Exp. 11, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 Exp.12 लगायत Exp.21, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 Exp.22 से मय 30 तथा लिखावत बही पन्ना पेज नम्बर 3 Exp.31 मूल बही व फोटो प्रति पेश की।

15. प्रतिवादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 3 अमरसिंह के स्वयं के बयानों का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा अभिलेखिय साक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

16. उभयपक्षों की साक्ष्य पूर्व होने पर बहस समाअत की गई।

17. वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत को इंगित करते हुए वादीगण का दावा बखूबी साबित होना जाहिर करते हुए दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की गुजारिश की।

18. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादीगण एवं उनके विज्ञ अभिभाषक के अभिकथनों का खण्डन करते हुए अपने जबाब दावा में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए वादीगण का वाद पत्र गलत एवं मनगढंत झूंठे तथ्यों पर आधारित होना बताकर दावा अस्वीकार कर खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

19. हमने उभयपक्षों की बहस पर गोर किया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का भली भांति गहनता से अध्ययन कर विचार किया। तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार निकलता है :–

20. तनकी संख्या–1– इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादीगण पर था। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत एवं मौखिक साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकृर्षित कर निवेदन किया कि आराजी विवादास्पद वादीगण के बुजुर्गान की पूरी अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

पिता से उचित प्रतिफल अदा कर खरीद करके कब्जा सम्भालकर लगातार काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करने की आराजी है, जो बही में बेचान की गई लिखावट एवं राजस्व अभिलेख की पृविष्टियों से प्रमाणित है। यद्यपि प्रतिवादीगण एवं उनके योग्य अधिवक्ता ने इसका पुरजोर खण्डन करते हुए वादीगण का दावा अस्वीकार कर खारिज की जाने की इस्तदुआ की गई। लेकिन पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य बही की लिखावट में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सुरजबिहारी द्वारा बैशाख सुदी दौज सम्वत् 2013 को उनके नाम की नन्दीपर स्थित पूरी जमीन रूपये 600/– में नन्दीपुर को सम्भलादी जाने का उल्लेख है। ग्राम नन्दीपुर में वादीगण के बुजुर्गान रामजीलाल, रामरतन, परसादी, भैरूलाल व श्योचन्द वगैरह के अलावा वर्तमान में अन्य किसी के घर नहीं हैं, वादीगण उन्ही के जायज वारिसान एवं कायममुकामान बतौर खातेदार काश्तकार आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने उक्त कथनों को अपनी मौखिक साक्ष्य एवं राजस्व अभिलेख नकल खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी खतौनी की पृविष्टियों से भी साबित करवाया है। पत्रावली पर प्रस्तुत नकल मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 3–8–12 प्रदर्श–2 से भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त एवं मौके पर उनके द्वारा छप्पर पोष तथा पत्थर, बजरी, ईधन व बलीता डाल कर एक चबूतरा देवताओं का बनाकर उपयोग व उपभोग करने की पुष्टि होती है।

21. प्रतिवादीगण एवं उनके विज्ञ अभिभाषक द्वारा वर्णित आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होना जाहिर करते हुये भौतिक रूप से कदीम से प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त होने के केवल मौखिक कथन किये है, किन्तु किसी भी [illegible] रिकार्ड शाहदत से प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा पर [illegible] कब्जा काश्त होना साबित नहीं करवाया है। बल्कि स्वयं प्रतिवादी संख्या [illegible] अमरसिंह के द्वारा अपनी मौखिक में की गई जिरह में स्वीकार किया है कि इस विवादित भूमि की गिरदावरी सम्वत् 2000 से 2019 में वादी नत्थी के पिता के नाम है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1992 पेज 219 में माननीय राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

मण्डल अजमेर की डबल बैंच में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि "Held. there is an admission of the defendant that plaintiff is in possesion of the land disputed since smut. 2004. Plaintiff is in eontinuous and vainterrupted possiession of the land for more than 12 years. Plaintiff is entitted to the deeree of declaration of Khatedari rights injunetion" प्रश्नगत वाद में तो वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का सम्वत् 2000 से लगातार आराजी मुतदाविया पर कब्जा काश्त होना मौखिक साक्ष्य एवं राजस्व अभिलेख की पृविष्टियों व मौका कमीशनर की रिपोर्ट से एवं स्वयं प्रतिवादी की ओर से अपनी साक्ष्य में की गई। जिरह में स्वीकारोक्ति से बखूबी होना प्रमाणित है। इसलिए जो भी हक हकूक खातेदारी एवं स्वत्व प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त में स्थित थे वो भी धारा 63 (1)(IV) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार समाप्त हो गये हे एवं वादीगण इन आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो चुके है, तद्नुसार उक्त आराजी विवादास्पद पर वादीगण के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो चुके है। इसलिए वादीगण उक्त आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के मुश्तहक है। अतः यह तनकी बहक वादीगण एवं बखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

22. **तनकी संख्या 2–** इस तनकी को साबित करवाने का भार भी वादीगण पर ही था। तनकी संख्या– एक में हुए तथ्यों के विस्तृत विवेचन एवं रिकार्ड शाहदत से आराजी विवादास्पद का पूर्व में ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता सूरजबिहारी के द्वारा बही की लिखावट के द्वारा बैसाख सुदी द्वितीया सम्वत 2013 को उचित प्रतिफल रूपये 600 प्राप्त कर वादीगण के बुजुर्गान को बेचान कर कब्जा क्रेता वादीगण को सम्भलवाया जाना तथा उसके बाद निरन्तर वादीगण का ही कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। इसी [illegible] के पूर्वजों ने आराजीयात जैर दावा का पूर्व में [illegible] के बुजुर्गान को सम्भलवा दिया तो [illegible] खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाने के उपरान्त पुनः अन्य किसी व्यक्तियों को बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है एवं ना ही वादीगण के कब्जे काश्त एवं आराजीयात के उपयोग व उपभोग करने में मजाहमत करने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा बिना स्वत्व एवं विधिक अधिकार के गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के पक्ष में बेचान का विक्रय–पत्र पंजीबद्व करवाने करवाने का कृत्य गैर कानूनी होना प्रकट होता है। लिहाजा यह तनकी भी ब–खिलाफ प्रतिवादीगण एवं बहक वादीगण तैय की जाती है।

23. **तनकी संख्या 3–** इस तनकी को सिद्व करवाने की जिम्मेदारी भी वादीगण पर थी। योग्य अधिवक्ता वादीगण का कहना था कि रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 के आधार पर प्रतिवादीगण के हक में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण गलत व फर्जी होने से खारिज योग्य है। लेकिन उनके द्वारा उक्त तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19–12–2008 को निरस्त करवाये जाने के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड शाहदत पेश नहीं की गई है तथा ना ही उक्त नामान्तरकरण को खारिज करवाने के लिए नामान्तरकरण स्वीकृति के आदेश के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत करने व इसके निरस्तीकरण होने के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत किये है। वैसे भी नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है, जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अपितु खातेदारी अधिकारों की अवधारणा तो वाद में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत के विश्लेषण से गुणावगुण के आधार पर होनी है। और तनकी संख्या 1 व 2 में हुए विस्तृत विवेचन के अनुसार आराजी वादग्रस्त में वादीगण के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होना प्रकट होते है, लिहाजा यह तनकी भी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

24. **तनकी संख्या 4–** इस तनकी को सिद्व करवाने का भार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 पर है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि आराजी वा[illegible] 24, 125, 135, 198, 227, 228, 235, 245 व [illegible] 11 [illegible] 4.53 है की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 3 ल[illegible] शेष आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम द[illegible]राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का उक्त आराजी गुतदाविया पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं न ही वर्तमान में उनका कब्जा काश्त है, बल्कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी टोडाभीम
[illegible] गंगापुर सिटी

प्रतिवादीगण भी उक्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र गलत व मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जावे। लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजीयत गेर दावा पर अपना भौतिक रूप से कब्जा काश्त होने के तथ्यों अपने मौखिक कथनों के अलावा अन्य किसी दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत से साबित नहीं करवाया है। दूसरी ओर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड शाहदत साबिक जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी की पृविष्टियों लगान की रसीदात से एवं कृषि जोत की पासबुक से तथा मौका कमीशनर की रिपोर्ट से उक्त आराजी वादग्रस्त पर वादीगण एवं उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त होना बखूबी साबित होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण व उनके विद्वान अभिभाषक उक्त तनकी को अपने पक्ष में किसी दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत से सिद्व करवाने में पूर्ण रूपेण विफल रहे है। अतः यह तनकी भी बखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

25. **तनकी संख्या 5–** इस तनकी को सिद्व करवाने का दायित्व भी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 का ही था। प्रतिवादीगण एवं उनके योग्य अधिवक्ता का कहना था कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादीगण के बुजुर्गो को विवादास्पद आराजीयत का कभी भी बेचान नहीं किया, ना ही कोई लिखावट करवाई एवं ना ही कभी कब्जा सम्भलवाया। वादीगण के वादपत्र में वर्णित सभी तथ्य मनगढंत व मिथ्या है। दावा गलत होने से खारिज फरमाया जावे। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात लिखावट बही से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिजा कुन्जबिहारी के द्वारा रूपये 600/– विक्रय मूल्य प्राप्त कर वादीगण के बुजुर्गान को बेचान कर कब्जा सम्भलवाया जाना प्रकट होता है। राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरियों की पृविष्टियों तथा मौका कमीशनर की रिपोर्ट से भी विवादास्पद आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण के मौखिक कथनानुसार जब आराजी विवादास्पद का वादीगण के बुजुर्गान को न तो बेचान हुआ एवं ना ही उन्हे कब्जा समभलवाया गया तो फिर उक्त आराजीयात की वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–गंगापुर सिटी

द्वारा काश्त करने का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किस आधार पर हुआ तथा मौका कमीशनर की रिपोर्ट में वादीगण का भौतिक रूप से कब्जा काश्त होना तथा उनके ,द्वारा ही उपयोग व उपभोग करना किस आधार पर पाया गया। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है तथा ना ही मौके पर प्रतिवादीगण ने अपना भौतिक रूप से कब्जा काश्त होना किसी दस्तावेजी रिकार्ड से सिद्व करवाया है। इस प्रकार उक्त तनकी को भी प्रतिवादीगण क्षीण मात्र भी सिद्व करवाने में सफल नहीं रहे हैं। लिहाजा यह तनकी भी बखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हे।

26. **तनकी संख्या 6—** इस तनकी को साबित करवाने का भार भी प्रतिवादीगण पर ही था। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कहना था कि विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 45, 90, 124, 125, 135, 198, 227, 228, 235, 245 व 286 कुल किता—11 रकबा 4.53 है0 भूमि को बेचान करने का विकय—पत्र दिनांक 19—12—2008 सही रूप से पंजीबद्व करवाया गया है तथा उक्त आराजीयात पर केतागण प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 का ही मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त है। विज्ञ अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह भी तर्क था कि रजिस्टर्ड विकय—पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर मान्य सिविल न्यायालय को है। अतः वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

27. उपर्युक्त तनकीयात में हुये तथ्यों के विवेचन के आधार पर किये गये निर्णय से स्पष्ट जाहिर हो चुका है कि विवादास्पद आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। हम विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण के इस मत से पूर्णतया सहमत हैं कि रजिस्टर्ड विकय—पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व [illegible] होकर मान्य सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] महारे सम्मुख रजिस्टर्ड विकय—पत्र को [illegible] प्रश्न निरस्तारणिय नहीं है, अपितु हमारे सम्मुख खातेदारी अधिकारों की अवधारण का प्रश्न विचारणीय है। अब स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 के हक में बेचान का विकय—पत्र दिनांक 19—12—2008 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी टोडाभीम

पंजीबद्ध करवाने के वक्त बेचानकर्ताओं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को इसका विधिक अधिकार प्राप्त था? प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने पूर्वजो के कुटस्टेप पर आराजी विवादास्पद का विरास्त का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकार करवा कर प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 के बेचान का विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 को पंजीबद्ध करवा दिया, लेकिन भौतिक रूप से विवादित आराजीयात का कब्जा केतागण प्रतिवादी संख्या 3 से 9 को नहीं सम्भलवाया गया। क्योकि उक्त आराजीयात को पूर्व में ही सम्वत् 2013 में उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज पिता द्वारा वादीगण के बुजुर्गान को उचित प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका था। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं उनके पूर्वज पिता के हक हकूक खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुके थे। इसके बावजूद भी उनके द्वारा विरास्त का नामान्तरकरण अनाधिकृत रूप से अपने नाम स्वीकार करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 के पक्ष में दिनांक पुनः बेचान कर विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 को पंजीबद्ध करवा दिया गया, जो शुरू से ही वादीगण के हक हकूकों एवं खातेदारी अधिकारों के विपरीत शून्यः एवं बेअसर है। इस प्रकार उक्त तनकी को भी प्रतिवादीगण सिद्व करवाने के असफल रहे है। लिहाजा यह तनकी भी अखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

28.अनुतोष?

उपर्युक्त पत्रावली के तथ्यों के विवेचन तथा प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत के विश्लेषण से तनकीयात के निर्णित होने से स्पष्ट सिद्व होता है कि ग्राम–[illegible]पुर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 45, 90, 104, 121, 124, 125, 131, 135, 195, 196, 197, 198, 227, 228, 235, 245, 361, 386 व 391 कुल किता 19 रकबा 8.59 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज रहीं है, जिनका उनके द्वारा बेचान कर विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 को प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के नाम पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बरान 32 मि., 59 मि., 94 मि., 35 मि., 42 मिन., 18, 95, 96, 107/224 मि., 125, 135, 183, 209 एवं 212 से बरामद होना पत्रावली पर प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

नकल राजस्व अभिलेख मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062 Ex.p.-2 की पृविष्टियों से जाहिर है। उक्त पूरी आराजीयत को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता मरहम सूरजबिहारी द्वारा सम्वत् 2013 में ही एक बही की लिखावट के माध्यम से प्रतिवादीगण के बुजुर्गान को उचित प्रतिफल तत्समय रूपये 600/– लेकर बेचान करके भौतिक रूप से मौके पर क्रेताओं को कब्जा सुपुर्द कर दिया, तभी से वादीगण एवं उनके पूर्वज लगातार काबिज रहकर काश्त एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा उनके पूर्वज पिता मरहूम सूरजबिहारी स्वयं के द्वारा अपनी कब्जे व खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का बेचान पूर्व में ही करने के बावजूद अपने नाम विरास्त का नामान्तकरण दर्ज एवं स्वीकार करवाकर पुनः प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 को दुबारा बेचान कर विक्रय–पत्र दिनांक 19–12–2008 को अनाधिकृत रूप से पंजीबद्व करवा दिया। जबकि उक्त आराजीयत के पूर्व में बेचान किये जाने के समय से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा उनके सरहूम पिता सूरजबिहारी के खातेदारी अधिकार एवं स्वत्व स्वतः ही समाप्त हो गये थे तथा उनके स्थान पर वादीगण व उनके बुजुर्गान के कदीम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने से पूर्व से ही खतौनी बन्दोबस्त सम्वत्–2000 (सन्–1943) से लगातार विवादास्पद आराजीयात पर काबिज काश्त व उपयोग व उपभोग करते चले आने के कारण बाई आपरेशन ऑफ लॉ भी उनके खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के नाम बेचान का दिनांक 19–12–2008 को पंजीबद्व करवाया गया विक्रय–पत्र वादीगण एवं उनके बुजुर्गान के विधिक खातेदारी अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य व बेअसर है। चूंकि वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात में से कुछ [illegible] कीय कार्यो में समाहित होने के कारण इसको छोड़कर शेष [illegible] विवादास्पद पर अपनी खातेदारी क्लेम की है, जिसकी खातेदारी वादीगण के [illegible] स्वीकार करना न्यायसंगत होने से हम कोई बाधा व अड़चन होना नहीं समझते हैं। इसलिए वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–गंगापुर सिटी

29. फलतः वादीगण का दावा स्वीकार कर इस आदेश के साथ डिकी किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के नाम बेचान का दिनांक 19–12–2008 को पंजीबद्व करवाया गया विकय–पत्र वादीगण के हक–हकूक खातेदारी एवं स्वत्व के प्रति प्रभावशून्य, बेअसर व निषप्रभावी होना घोषित करते हुए ग्राम नन्दीपुर तहसील टोडाभीम स्थित खाता संख्या 13 के आराजी हाल खसरा नम्बरान 45/0.05, 90/0.02, 121/0.06, 124/0.03, 125/0.03, 131/0.10, 135/0.76, 198/3.05, 227/0.03, 228/0.11, 235/0.10, 245/0.17, 386/0.18 कुल किता 13 रकबा 4.69 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा 1/4 भाग का, वादीगण नम्बर 3 व 4 को बहिस्सा 1/4 भाग का, वादी संख्या 5 को बहिस्सा 1/4 भाग का तथा वादीगण नम्बर 6, 7 व 8 को बहिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत/बाधा पैदा नहीं करें, बल्कि उन्हें शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवे। पर्चा डिकी जारी हो।

30. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03–05–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:50:44 IST
Reason: SelfAttested

(... मीणा) (RAS)
...खण्ड अधिकारी
टोडाभीम (गंगापुर सिटी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी